

[2023] 1 एस. सी. आर 873 ए

ए.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.

गर्नर कोरुगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील No.6662)

बी.

05 जनवरी, 2023

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम)-एस. एस.13(2), 13(4), 14, 17, 26 ई-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम)।15-23, 24 - क्या एमएसएमईडी अधिनियम सरफेसी अधिनियम पर प्रबल होगा और क्या एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही/वसूली सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई वसूली/वसूली की कार्यवाही पर प्रबल होगी-आयोजित:एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 15 से 23 खरीदार और विक्रेता के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करती है-लेकिन एस के समान सुरक्षित लेनदार के ऋण बकाया पर प्राथमिकता प्रदान नहीं करती है।26 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का ई.-एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 26 ई के तहत प्रदान की गई 'प्राथमिकता' एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की वसूली तंत्र पर हावी होगी-दोनों अधिनियमों के बीच कोई विरोध नहीं है-एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम में प्राथमिकता के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, यदि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम को प्रबल होने दिया जाता है तो यह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा-एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने की आवश्यकता होती है-न तो, जिला मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित लेनदार और देनदार के बीच के मामले में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा-कदमों से व्यथित व्यक्ति।13(4) और एस।14 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत अपील/आवेदन के माध्यम से ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करना पड़ता है।17 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम-सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत वसूली एमएस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत वसूली पर हावी होगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.** पूरे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, **2006** (एमएसएमईडी अधिनियम) में कोई प्रावधान नहीं है।

एच.

873

874 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

सुरक्षित लेनदारों के बकाया पर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी कर या उपकर पर, जैसा भी मामला हो, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत भुगतान के लिए 'प्राथमिकता' देने वाला विशिष्ट स्पष्ट प्रावधान। इसके बिल्कुल विपरीत, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, **2002** (सरफेसी अधिनियम) की धारा **26** ई, जिसे **2016** में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, यह प्रावधान करता है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद, प्रतिभूति ब्याज के पंजीकरण के बाद, किसी भी सुरक्षित लेनदार को देय ऋण का भुगतान अन्य सभी ऋणों और सभी राजस्व करों और उपकरों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय अन्य दरों पर 'प्राथमिकता' से किया जाएगा। हालांकि, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **26** ई के अनुसार ऋण के भुगतान में सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता आई. बी. सी. के प्रावधानों के अधीन होगी। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा **26** ई, जिसे **2016** में जोड़ा गया है, में भी एक गैर-अस्थायी खंड है। कानून की तय स्थिति के अनुसार, यदि विधायिका बाद के अधिनियम को एक गैर-अस्थायी खंड के साथ प्रदान करती है, तो इसका मतलब है कि विधायिका चाहती थी कि बाद का/बाद का अधिनियम प्रबल हो। इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **26** ई के तहत प्रदान की गई 'प्राथमिकता' एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की वसूली प्रणाली पर हावी होगी। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा **15** से **23** विवादों के निर्णय के लिए और आपूर्तिकर्ता और खरीदार-सूक्ष्म या लघु उद्यम के बीच विवादों के निर्णय और समाधान के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान कर रही है। पुनरावृत्ति की कीमत पर,

यह देखा गया है कि एमएसएमईडी अधिनियम सरफेसी अधिनियम की धारा **26** ई के समान सुरक्षित लेनदार के ऋण बकाया पर कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करता है। [पैरा **7**] **[883-बी-जी]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रतिभूति हित के लिए विशिष्ट तंत्र/प्रावधान प्रदान करने के लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया है। यह सुरक्षा हित को लागू करने के लिए एक विशेष कानून है जो सुरक्षित लेनदार-वित्तीय संस्थान के पक्ष में बनाया गया है। इसलिए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत बकाया की प्राथमिकता के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, यदि प्रत्यर्थी संख्या **1** की ओर से ए के तहत बकाया के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

जी.

एच.

875

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. गनारि कोरुगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम सरफेसी अधिनियम पर हावी होगा, तब उस मामले में, न केवल विशेष अधिनियम/सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को हतोत्साहित किया जाएगा, बल्कि सरफेसी अधिनियम की धारा **26** ई को शामिल करने के माध्यम से बाद में अधिनियम भी हतोत्साहित किया जाएगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या **1** की ओर से निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, सरफेसी अधिनियम की धारा **26** ई निरर्थक हो जाएगी और अनावश्यक और/या अनावश्यक हो जाएगी। कोई भी अन्य विपरीत दृष्टिकोण सरफेसी अधिनियम की धारा **26** ई के प्रावधान और सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को भी विफल कर देगा। [पैरा **9**] **[884-डी-जी]**

बी.

3. सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत दंड का प्रयोग करते समय, यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट के पास भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और/या जिला मजिस्ट्रेट और/या यहां

तक कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास भी सुरक्षित लेनदार और देनदार के बीच विवाद पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14** के तहत, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने की आवश्यकता होती है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14** के तहत, न तो जिला मजिस्ट्रेट और न ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित लेनदार और देनदार के बीच विवाद का निर्णय लेने और/या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा **13 (4)**/धारा **14** के तहत पारित आदेश के तहत उठाए गए कदमों से व्यथित है, तो व्यथित व्यक्ति को सरफेसी अधिनियम की धारा **17** के तहत अपील/आवेदन के माध्यम से ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां तक सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली पर हावी होगी ताकि सुविधा परिषद द्वारा पारित पुरस्कार/डिक्री के तहत राशि की वसूली की जा सके। [पैरा **10** और **11**] **[885-बी-डी, एफ-जी]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 6662।

जी.

2017 की रिट अपील No.248 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ के दिनांकित 11.08.2017 के निर्णय और आदेश से। अमर दवे, हिमांशु भूषण, कृष्णायन सेन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एच.

876

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

ए.

सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुलकित तारे, आदित्य शेखर, अभिषेक शर्मा, सनी चौधरी, शिव सागर तिवारी, अर्जुन गर्ग, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

बी.

1. 2017 की रिट अपील संख्या 248 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (जिसे इसके बाद 'एमएसएमईडी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद 'सरफेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) पर प्रबल होगा।

सी.

डी.

वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य निम्नानुसार हैं: 1.1 एक मिशन विवाकेयर (इसके बाद 'देनदार' के रूप में संदर्भित) ने अपीलकर्ता बैंक-सुरक्षित लेनदार द्वारा विभिन्न ऋण सुविधाओं को उन्नत किया। विभिन्न ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए धार के एस. ई. जेड. क्षेत्र में स्थित भूखंड संख्या 16 और 14 को कुछ चल अचल संपत्तियों के साथ गिरवी रखा गया था।

ई.

एफ.

1.2 ऋण/ऋण के भुगतान में चूक के कारण, बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अनुध्यात सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू की। बैंक-सुरक्षित लेनदार ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत 17.06.2014 पर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने में सहायता मांगी गई। दिनांक 24.09.2014 के आदेश द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट ने एस. डी. एम., जिले को निर्देश देकर उक्त आवेदन की अनुमति दी: धार सुरक्षित परिसंपत्तियों का खाली कब्जा लेने के लिए। हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए, बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट और एस. डी. एम. को आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने के आदेश का पालन न करने की शिकायत की गई। अंत में, एस. डी. एम. ने ए. जारी किया

जी.

एच.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.गर्नार कोरूगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

नायब तहसीलदार को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने और पुलिस सहायता लेकर कब्जा प्राप्त करने का निर्देश। इसके बाद 21.03.2016 के आदेश के माध्यम से, नायब तहसीलदार ने इस आधार पर कब्जा करने और 24.09.2014 के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया कि सुरक्षित संपत्तियों से कुछ राशियों की वसूली के लिए एक वसूली कार्यवाही लंबित है और इस आधार पर कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रत्यर्थी संख्या 4) के पक्ष में जारी वसूली प्रमाण पत्र पहले से ही उपरोक्त दो सुरक्षित संपत्तियों से कुछ राशियों की वसूली के लिए लंबित था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वसूली प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किए गए थे, जो कि सुविधा परिषद द्वारा 11.09.2014 पर पारित पुरस्कार के अनुसार था, जो इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में था, जो MSMED अधिनियम के प्रावधानों के तहत था। नायब तहसीलदार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.09.2014 द्वारा पारित आदेश के अनुसार सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने से इनकार करने का आदेश 2016 की रिट याचिका No.2569 के माध्यम से उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका का विषय था। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने से इनकार करते हुए, नायब तहसीलदार ने कहा कि एमएसएमईडी अधिनियम सरफेसी अधिनियम के बाद अधिनियमित एक विशेष अधिनियम होने के कारण इसका प्रबल प्रभाव होगा और इसलिए, एमएसएमईडी अधिनियम सरफेसी अधिनियम पर हावी होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

1.3 विद्वान एकल न्यायाधीश ने बैंक-सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे और यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश या सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत किए गए उपायों से व्यथित है, तो वह ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील/आवेदन कर सकता है।

एफ.

जी.

1.4 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सरफेसी अधिनियम प्रबल होगा, प्रत्यर्थी संख्या 1 जिसके पक्ष में एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पुरस्कार था और जिसके पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष वर्तमान रिट अपील दायर की। विवादित निर्णय द्वारा और

एच.

878

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

आदेश में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम बाद में अधिनियमित होने के कारण, वही सरफेसी अधिनियम पर प्रबल होगा।

1.5 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में कहा गया है कि एमएसएमईडी अधिनियम बाद में अधिनियमित होने के कारण, वही सरफेसी अधिनियम पर प्रबल होगा जो बैंक-सुरक्षित लेनदार ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. अपीलकर्ता बैंक-सुरक्षित लेनदार की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे ने जोरदार ढंग से कहा है कि इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम और एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, अर्थात् धारा 24 में गैर-अस्थायी खंड यह प्रावधान करता है कि धारा 15 से 23 के तहत प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 15 से 23 केवल पक्षकारों पर कुछ अन्य संविदात्मक और व्यावसायिक शर्तों जैसे भुगतान के लिए समय सीमा और विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज को लागू करने के साथ-साथ विवाद के निर्णय के लिए विशेष तंत्र प्रदान करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 से 23 तक उक्त योजना के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सुरक्षित लेनदारों के बकाया या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी कर या उपकर पर एमएसएमईडी अधिनियम के तहत भुगतान के लिए कोई स्पष्ट 'प्राथमिकता' की परिकल्पना नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इस आशय का कोई प्रावधान जानबूझकर प्रदान नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बिल्कुल विपरीत, धारा 26 ई सहित सरफेसी अधिनियम की योजना के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विधायिका ने बकाया भुगतान की 'प्राथमिकता' के मुद्दे पर विशेष रूप से एक कानूनी ढांचे के लिए स्पष्ट और स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ अन्य कानूनों के मामले में, उस तरीके के लिए स्पष्ट प्रावधान है जिसमें इसके तहत बकाया का या तो संपत्ति पर शुल्क हो सकता है या अन्य बकाया पर 'प्राथमिकता' हो सकती है। महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963; कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923; केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; प्रतिभूति ब्याज और वसूली ऋण कानूनों का प्रवर्तन और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016, आदि के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

879

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. गनार कोरुगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कि इस तरह के स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में, भुगतान की 'प्राथमिकता' के संबंध में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत ऐसी विशिष्ट योजना की तुलना में सरफेसी अधिनियम की विशिष्ट योजना को नजरअंदाज करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुरक्षित लेनदारों या सरकारी बकाया के अलावा ऐसी कोई भी 'प्राथमिकता' स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से प्रदान की जानी चाहिए और इसे निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर, वास्तव में, दो योजनाओं, यानी एमएसएमईडी अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के बीच कोई टकराव नहीं है, जहां तक 'प्राथमिकता' के विशिष्ट विषय का संबंध है।

बी.

2.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई को बाद में 2016 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई में गैर-अस्थायी खंड एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होगा। रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

सी.

बैंक ऑफ इंडिया बनाम केतन प्रेक और अन्य। [(2008) 8 एससीसी 148 (पैरा 28)]।

डी.

2.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को यह मानते हुए बहाल किया जाए कि सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली को एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली पर प्राथमिकता दी जाएगी।

ई.

3. प्रत्यर्थी नं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजन रेड्डी ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

3.1 प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि एमएसएमईडी अधिनियम को छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है जो कई नागरिकों के लिए आजीविका का स्रोत है और सकल घरेलू उत्पाद में 27 प्रतिशत का योगदान देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, बकाया की वसूली के लिए आक्रामक प्रावधान लाए गए थे और एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम में चक्रवृद्धि ब्याज दिए गए हैं जो किसी अन्य विधान में मौजूद नहीं है और एक लाभकारी कानून की प्रकृति में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 24 को ध्यान में रखते हुए, जो अन्य प्रचलित कानूनों पर एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करती है,

एफ.

जी.

एच.

880

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली पर हावी होगी।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय संस्थानों के पास सरफेसी अधिनियम, आई. बी. सी. आदि सहित वसूली के कई अन्य साधन हैं जो एक सुरक्षित लेनदार के रूप में कुछ मामलों में कंपनी के निदेशकों से व्यक्तिगत गारंटी भी लेते हैं। हालांकि, व्यक्तिगत गारंटी आदि लेने की ऐसी स्वतंत्रता एमएसएमई के लिए उपलब्ध नहीं है और वे बकाया की वसूली के लिए पूरी तरह से एमएसएमईडी अधिनियम पर निर्भर हैं और इस तरह पुरस्कार के आधार पर वसूली का केवल एक ही तरीका है जो सुविधा परिषद के आदेश की प्रकृति में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 24 के तहत एक प्रमुख प्रावधान प्रदान किया गया है।

बी.

सी.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 24 अन्य प्रचलित कानूनों पर एक प्रबल प्रभाव प्रदान करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अध्याय 5-धारा 15 से 23 के तहत प्रावधानों की पूरी योजना जिसमें विलंबित भुगतान, देय राशियों की वसूली, और सुविधा परिषद की स्थापना और इसके अधिनिर्णय का सरफेसी अधिनियम सहित अन्य सभी विधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, सुविधा परिषद से एक पुरस्कार का भी धारा 24 के आधार पर एक प्रबल प्रभाव होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधायिका का इरादा स्पष्ट है क्योंकि प्रमुख प्रावधान एमएसएमईडी अधिनियम के तहत प्रदान किए गए विलंबित भुगतान वसूली तंत्र के एक विशेष समूह के लिए है जो एमएसएमईडी अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप भी है। 3. 4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम एक अनुवर्ती विधान है और एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 24 का प्रावधान करके, विधायिका ने उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर अपने गैर-अबाधित खंड द्वारा उस प्रासंगिक समय पर प्रचलित सभी वसूली प्रक्रियाओं को हटा दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

881

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.गर्नार कोरूगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.
[एम. आर. शाह, जे.] ए.

कानून की उक्त स्थिति की कोई भी विपरीत व्याख्या की जानी है, तो वह धारा 24 को निरर्थक बना देगी, जो किसी भी तरह से विधायिका का इरादा नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि सरफेसी अधिनियम को एमएसएमईडी अधिनियम पर प्रबल प्रभाव दिया जाता है, तो यह सुविधा परिषद के पुरस्कारों को उन सभी मामलों में गैर-निष्पादन योग्य के रूप में प्रदान करेगा जहां एक सुरक्षित लेनदार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एमएसएमई के अस्तित्व और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और एमएसएमईडी अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ भी है।

बी.

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के संबंध में निर्धारित कानून के अनुसार, यदि दो अधिनियमों में प्रतिस्पर्धी गैर-अबाधित प्रावधान हैं और कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, तो बाद के कानून का गैर-अबाधित खंड पहले के अधिनियमों पर प्रबल होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सिद्धांत यह होगा कि न्यायालय को दो विशेष अधिनियमों के उद्देश्यों पर गौर करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि विधायिका अभी भी बाद के अधिनियम को एक गैर-अस्थायी खंड के साथ प्रदान करती है, तो इसका मतलब है कि विधायिका चाहती थी कि अधिनियम प्रबल हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम में गैर-अस्थायी खंड, यानी धारा 24, उस समय लागू अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करते हुए, बाद में अधिनियमित किए जा रहे सरफेसी अधिनियम की वसूली तंत्र पर प्रबल होगा।

सी.

डी.

ई.

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य मध्य प्रदेश ने एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देय राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया का पालन करने के लिए 'एम. पी. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2006' के रूप में जाने जाने वाले नियम बनाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नियमों के तहत, एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित डिक्री, पुरस्कार या आदेश संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निष्पादित किया जाएगा और देय

राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 137 के अनुसार, भूमि राजस्व का विषय संपत्ति से बकाया की वसूली की आय पर पहला शुल्क होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

एफ.

जी.

एच.

882

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि इसे डिक्री धारक के डिक्री/पुरस्कार पर प्राथमिकता दी जाएगी। 3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईबीसी, 2016 की धारा 240 ए एमएसएमई को आईबीसी की धारा 29 ए के कुछ प्रावधानों का अपवाद प्रदान करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्थापित विधि है कि आई. बी. सी., 2016 सरफेसी अधिनियम को ओवरराइड करेगा और इसलिए, उक्त संदर्भ में भी, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम को सरफेसी अधिनियम पर वरीयता मिल सकती है।

बी.

3.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम राज्य की कल्याणकारी नीति का एक विस्तार है और लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के व्यापक सार्वजनिक हित और उनके अस्तित्व के साधनों को संतुलित करने के लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के अस्तित्व के लिए ब्याज संतुलन बनाने के लिए, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के पक्ष में प्रावधानों की व्याख्या करने और यह मानने की प्रार्थना की जाती है कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली पर हावी होगी।

सी.

डी.

3.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

ई.

4. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

5. इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या एमएसएमईडी अधिनियम सरफेसी अधिनियम पर हावी होगा? सवाल यह है कि क्या एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही/वसूली, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई वसूली/वसूली की कार्यवाही पर हावी होगी?

एफ.

6. प्रत्यर्ची संख्या 1 की ओर से यह मामला है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 24 को देखते हुए, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधानों का प्रबल प्रभाव होगा और यह उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम बाद में अधिनियमित किया गया है, तो एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, सरफेसी अधिनियम, सरफेसी अधिनियम पर प्रबल होगा।

जी.

एच.

883

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. गनार कोरुगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

7. उपरोक्त प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, यह सराहना की जानी चाहिए कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 से 23 केवल पक्षकारों पर कुछ अन्य संविदात्मक और व्यावसायिक शर्तों जैसे भुगतान के लिए समय सीमा और विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज को लागू करने के साथ-साथ विवाद के निर्णय के लिए विशेष तंत्र प्रदान करती है। संपूर्ण एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम में, सुरक्षित लेनदारों के बकाया पर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी कर या उपकर पर, जैसा भी मामला हो, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत भुगतान के लिए 'प्राथमिकता' देने का कोई विशिष्ट स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत, सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई, जिसे 2016 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, यह प्रावधान करती है कि तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद, प्रतिभूति ब्याज के पंजीकरण के बाद, किसी भी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण का भुगतान अन्य सभी ऋणों और सभी राजस्व करों और उपकरों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय अन्य दरों पर 'प्राथमिकता' से किया जाएगा। हालांकि, सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई के अनुसार ऋण के भुगतान में सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता आईबीसी के प्रावधानों के अधीन होगी। इसलिए, सुरक्षित लेनदार के कारण सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेश या

आदेश के अनुसार, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत बकाया राशि की तुलना में इस तरह के बकाया को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 26 ई को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जाएगी, जिसे बाद में एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की तुलना में समय पर लागू किया जाता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई, जिसे 2016 में जोड़ा गया है, में भी एक गैर-अस्थायी खंड है। यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए जाने के अनुसार, दो अधिनियमों में प्रतिस्पर्धी गैर-अस्थायी प्रावधान है और कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, तो बाद के कानून का गैर-अस्थायी खंड पहले के अधिनियमों पर प्रबल होगा। कानून की तय स्थिति के अनुसार, यदि विधायिका बाद के अधिनियम को एक गैर-अस्थायी खंड के साथ प्रदान करती है, तो इसका मतलब है कि विधायिका चाहती थी कि बाद का/बाद का अधिनियम प्रबल हो। इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 26 ई के तहत प्रदान की गई 'प्राथमिकता' एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की वसूली प्रणाली पर हावी होगी। उपरोक्त पर इस तथ्य के साथ विचार किया जाना चाहिए कि एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से धारा 15 से 23 तक, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत बकाया के संबंध में कोई 'प्राथमिकता' प्रदान नहीं की गई है, जैसे कि सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 15 से 23 विवादों के निर्णय के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान कर रही हैं।

एच.

884

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

और आपूर्तिकर्ता और खरीदार-सूक्ष्म या लघु उद्यम के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन और समाधान करना। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि एमएसएमईडी अधिनियम

सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई के समान सुरक्षित लेनदार के ऋण बकाया पर कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करता है। अधिक से अधिक, सुविधा परिषद द्वारा पारित डिक्री/आदेश/पुरस्कार को इस तरह से निष्पादित किया जाएगा और सूक्ष्म या लघु उद्यम जिसके पक्ष में सुविधा परिषद द्वारा पुरस्कार या डिक्री पारित की गई है, वह अन्य ऋणों/लेनदारों की तरह इसे निष्पादित करने का हकदार होगा। इसलिए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित धारा 15 से 23 के प्रावधानों और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए, दो अधिनियमों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। सरफेसी अधिनियम और एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम। इस प्रकार, जहां तक 'प्राथमिकता' के विशिष्ट विषय का संबंध है, दो योजनाओं, यानी एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के बीच कोई टकराव नहीं है।

बी.

सी.

9. इस स्तर पर, सरफेसी अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किया जाना आवश्यक है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन को विनियमित करने और संपत्ति अधिकारों पर बनाए गए प्रतिभूति ब्याज के केंद्रीय ऋण प्रदान करने और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया है। इसलिए, वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रतिभूति हित के लिए विशिष्ट तंत्र/प्रावधान प्रदान करने के लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया है। यह सुरक्षा हित को लागू करने के लिए एक विशेष कानून है जो सुरक्षित लेनदार-वित्तीय संस्थान के पक्ष में बनाया गया है। इसलिए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत बकाया राशि की प्राथमिकता के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, यदि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत बकाया राशि के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत करना सरफेसी अधिनियम पर प्रबल होगा, तो उस मामले में, न केवल विशेष अधिनियम/सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य निराश होगा, बल्कि सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई को शामिल करने के माध्यम से बाद में अधिनियमन भी निराश होगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई निरर्थक हो जाएगी और निरर्थक और/या निरर्थक हो जाएगी। कोई भी अन्य विपरीत दृष्टिकोण सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई के प्रावधान और सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को भी विफल कर देगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

10. अन्यथा भी नायब तहसीलदार को ए की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार सुरक्षित संपत्तियों/संपत्तियों का कब्जा नहीं लेना बिल्कुल भी उचित नहीं था।

एच.

885

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.गर्नार कोरुगेटर्स पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सरफेसी अधिनियम। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत इस आधार पर पारित आदेश के बावजूद कि सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेशों की वसूली के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र लंबित हैं, नायब तहसीलदार द्वारा सुरक्षित संपत्तियों/संपत्तियों का कब्जा लेने से इनकार करने का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट के पास भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और/या जिला मजिस्ट्रेट और/या यहां तक कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास भी सुरक्षित लेनदार और देनदार के बीच विवाद पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने की आवश्यकता होती है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत, न तो जिला मजिस्ट्रेट और न ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित लेनदार और देनदार के बीच विवाद का निर्णय लेने और/या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 13 (4)/धारा 14 के तहत पारित आदेश के तहत उठाए गए कदमों से व्यथित है, तो व्यथित व्यक्ति को सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील/आवेदन के माध्यम से ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा। इसलिए, नायब तहसीलदार द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार कब्जा करने से इनकार करने का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसलिए इसे भी दरकिनार किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना

चाहिए। नतीजतन, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है। 2017 की रिट अपील संख्या 268 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्वारा बहाल किया जाता है। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां तक सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली एमएसएमईडी अधिनियम के तहत वसूली पर हावी होगी ताकि सुविधा परिषद द्वारा पारित पुरस्कार/डिक्री के तहत राशि की वसूली की जा सके। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा यह उचित रूप से कहा गया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, तो उसके लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा, जिस पर निम्न में विचार किया जाएगा:

एफ.

जी.

एच.

886

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

कानून और उसके गुणों के अनुसार और धारा 17 के प्रावधानों और सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन।

12. तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। इस बारे में कोई आदेश नहीं

लागते।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और राहुल राठी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.